

न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री देवीलाल सेन बावलास, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखालय, कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा।

प्रकरण संख्या :- 108/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2026	<p>—: निर्णय :—</p> <p>1. पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखालय कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील क्रमांक 249197746456988 प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान् की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।</p> <p>3. लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखालय कलेक्ट्रेट भीलवाड़ा से प्राप्त सूचना अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 61040 दिनांक 20.05.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 61029 दिनांक 28.04.2026 को रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवा दी गई है। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है। अपीलार्थी का जवाब जरिये डाक से प्राप्त हुआ, जो शामिल फाईल है।</p> <p>4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 21-05-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(जसमीत सिंह संधू)

प्रथम अपीलीय अधिकारी

लोक सूचना एवं जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा

भीलवाड़ा